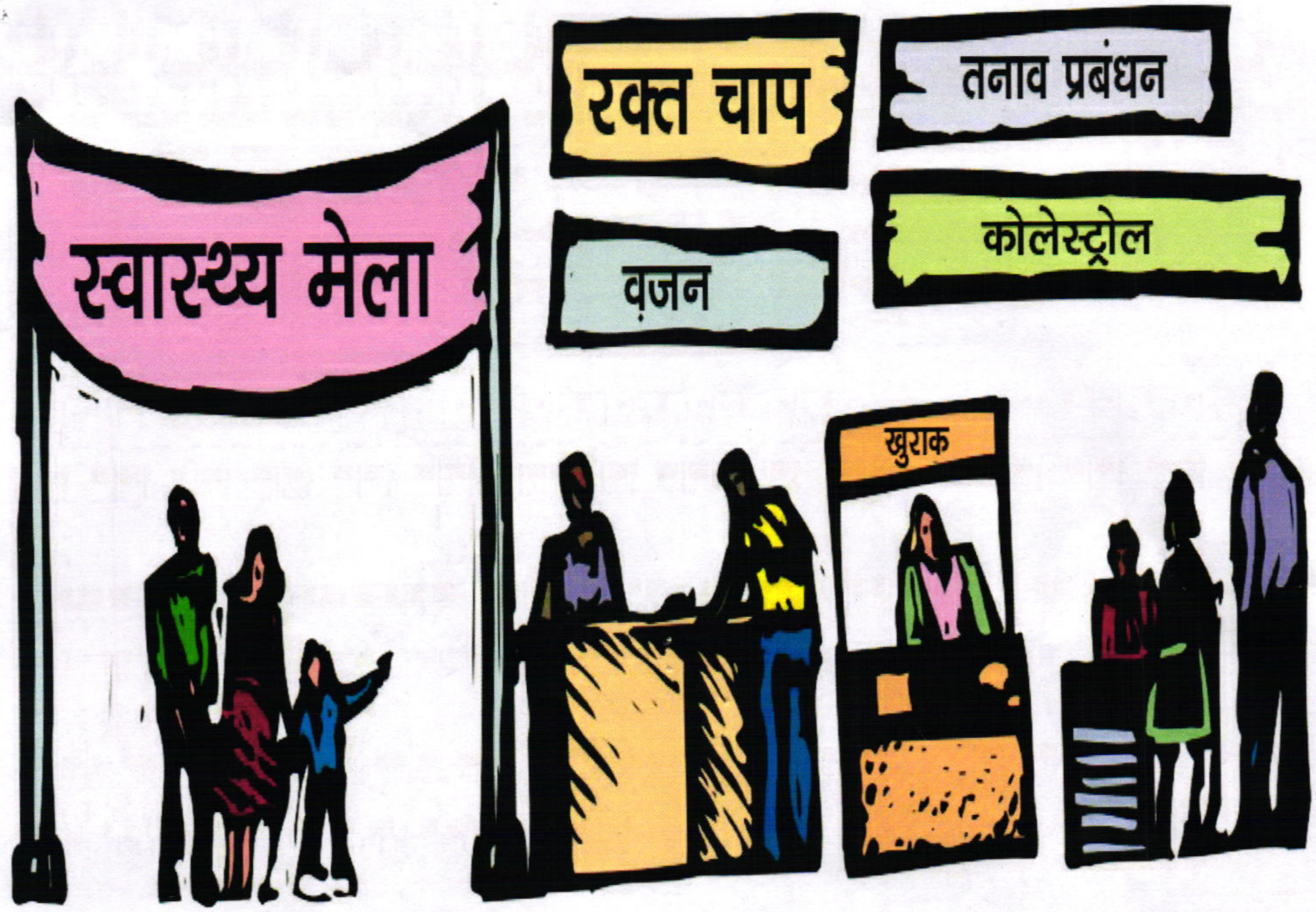

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने हेतु दिशा–निर्देश

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
जुलाई, 2018

1. प्रस्तावना

भारत में संचारी और गैर-संचारी दोनों ही प्रकार की बीमारियों का बोझ है तथा इनमें से अनेक बीमारियां ऐसी हैं, जिनका निवारण, शीघ्र निदान करके स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराकर, समय से रेफर और प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की व्यापकता भी बहुत अधिक है, जो 5-10% तक है। इसके अलावा,प्रत्येक वर्ष कैंसर के 8 लाख मामलों का पता लगाया जाता है तथ लगभग 60-80% ऐसे होते हैं, जिनकाबाद में पता लगता है। लगभग 8% जरा-चिकित्सा आबादी घर में रहती है तथा अनेक बीमारियोंसे पीड़ित हैं। देश के अनेक ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट सुविधाओं की कमी देखी जाती है। जानकारी का अभाव होना और स्वास्थ्य प्राप्त करनेके प्रति लोगों का उदासीन रवैया अनेक बीमारियों के मुख्य आधारभूत कारण हैं। किए गए अनेकअर्ध्ययन और साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि शीघ निदान और रोकथाम से रुग्णता तथा निवार्य मौतों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है।

लोगों के स्वास्थ्य में प्रगामी सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने और उसे जीवन में उतारने के लिए तथा ऐसा कुछ करने, जो स्वयं उनके तथा अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, से बचने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाए। ऐसे मेलों के आयोजन, जहां विभिन्न बीमारियों के साथ-साथ उनकी रोकथाम के बारे में किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। अन्य स्वास्थ्य परिचर्या की तरह लोगों में लोकप्रिय हुआ है। ये मेले न केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए सक्षम साधन भी हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा और शीघ्र निदान उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने की कार्यनीति अपनाई है। इन स्वास्थ्य मेलों की संकल्पना अपेक्षित रोग विज्ञानीय जांच और चिकित्सा के साथ गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए की गई है। इन मेलों में केंद्रीय सरकार,राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि द्वारा आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी इत्यादि) के बारे में लोगों को जानकारी देने में भी सहायता मिलेगी।

विशेष तौर पर जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर तबके के क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के संबंध में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी), 2000 में भी उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य मेले न केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनसंख्या संबंधी मामलोंके संबंध में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में सफल सिद्ध हुए हैं, बल्कि उन क्षेत्रों के लोगों को भी वास्तविक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी सफल रहे हैं।

जहांअन्यथा कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सीमितसेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि ऐसे मेलों का आयोजन करना आयोजनोंके लिए एक चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि प्रत्येक मेले का आयोजन वहां के सामाजिक,-

सांस्कृतिक ढांचे, रोगों की व्याप्तता और क्षेत्रकेमौजूदा उन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, जहां मेलों का आयोजन किया जाना है, को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। तथापि प्रयोगशाला सेवाओं, परामर्श, औषधि एवं उपचार,रेफरल इत्यादि जैसी समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना अपने आपमें एक अनूठा अवसर होगा।

अभी तक आयोजित किए स्वास्थ्य मेलों की सफलताऔर लोकप्रियताके कारण विभिन्न राज्यों में ऐसे मेलों का आयोजन करने के लिए माननीय संसद सदस्यों, माननीय केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।प्राप्त अनुरोधों में उनके क्षेत्रों में इन मेलों के आयोजन के लिए अत्यावश्यकता व्यक्त की गई है। इसके मद्देनजर, इस मंत्रालय ने देश के सभी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वार्षिकस्वास्थ्य मेलों के आयोजन का निर्णयलिया है।

2. उद्देश्य

स्वास्थ्य मेले के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) विभिन्न संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम हेतु लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना।

(ii) सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए नवीनतम मास मीडियाऔर मिड-मीडिया क्रियाकलापों के माध्यम से लाभार्थियों को प्रेरित करना।

(iii) रेफरल, विशेषीकृत सेवाओं और नैदानिक सेवाओं सहित शीघ्र निदान, बुनियादीस्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए जांच उपलब्ध कराना।

(iv) सरकार द्वारा प्रारंभ किए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के बारे में लोगोंको जागरूक करना, जिससे वे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

3. स्वास्थ्य मेले के घटक

4. स्वास्थ्य मेले का परिचालन

स्वास्थ्य मेले के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाएंगे:

क) स्वास्थ्य मेले के सफल आयोजन के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो महीने से ही पर्याप्त आयोजना किए जाने की आवश्यकता है।

ख) मेले की योजना मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा बनाई जानी चाहिए।

निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद के लिए यह अनिवार्य है कि वह सम्पूर्ण परामर्श और क्रियान्वयन प्रक्रिया का एक एकीकृत भाग होगा। प्रत्येक स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा किया

जाएगा जो एक केन्द्रीय मंत्री/राज्य का मुख्यमंत्री/राज्य का मंत्री/संसद/विधायक या अन्य कोई उच्च पदाधिकारी हो सकता है।

ग) चूंकि कुछ मामलों में एक निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ हो सकता है, अत: माननीय सांसद निर्णय करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले जिलों में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा अथवा दो या उसके अधिक मेलों का आयोजन किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र माननीय सांसद, क्रमश: लोक सभा/राज्य सभा के नोडल जिलों में प्रति वर्ष स्वास्थ्य मेले के आयोजन के लिए 12 लाख रु. का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके पीआईपी/एसपीआईपी में प्रस्ताव मिलने के पश्चात् एनएचएम के जरिए स्वास्थ्य मेलों को निधियां प्रदान की जानी हैं। एनएचएम मानदण्डों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए केन्द्र/राज्य के वित्त पोषण का अनुपात 60:40/90:10/100 प्रतिशत होगा।

घ) [redacted]

ङ.) प्रत्येक स्वास्थ्य मेले का आयोजन 2 (दो) दिवसों के लिए किया जाएगा। इसे और बढ़ाने के संबंध में माननीय सांसद द्वारा निर्णय किए जाने की स्थिति में, स्थानीय स्तर पर इस हेतु उचित व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तथापि, केन्द्र की ओर से वित्त पोषण संबंधी सहयोग यथावत रहे। उदाहरणतया, एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणियों के आधार पर।

च) लक्ष्य निधि से पूर्व छ: से आठ व्यक्तियों की एक योजना समिति का गठन पहले ही (कम से कम दो माह पूर्व) किया जा सकता है। समिति की अध्यक्षता संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद द्वारा की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी/जिला कलेक्टर/जिलाधीश/आयुक्त और सीएमओ समिति के एकीकृत सदस्य होंगे। योजना समिति उप-समितियों के लिए सदस्यों की पहचान करेगी और उप-समितियों को नेतृत्व, मार्गदर्शन और समन्वयन कार्य प्रदान करेगी।

निम्नलिखित समूहों से एक प्रतिनिधि योजना समिति में शामिल करने की सलाह दी जाती है :

- ❖ स्वास्थ्य संबंधी पेशेवर व्यक्ति : चिकित्सक, दंत चिकित्सक, काइरोप्रैक्टर्स, शिशु चिकित्सक, ऑप्टोमेट्रिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर्स, फिजीशियन आदि।
- ❖ स्वास्थ्य एजेंसियां : अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम्स, वृद्धाश्रम, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, आईएमए, स्थानीय एनजीओ आदि।
- ❖ विद्यालय
- ❖ धार्मिक नेता / संस्थान
- ❖ स्थानीय मीडिया

❖ समुदाय के कुछ प्रतिष्ठित सदस्यगण

मुख्य योजना समिति के अधीन निम्नलिखित उप समितियों का गठन किए जाने पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। योजना समितियों और उप समितियों के कर्त्तव्य अनुलग्नक-4 पर दिए गए हैं :

- ❖ नैदानिक उप समिति
- ❖ सुविधा उप समिति
- ❖ अभिप्राप्ति उप समिति
- ❖ खाद्य उप समिति
- ❖ लिपिकीय/स्टाफिंग/सूचीकरण उप समिति
- ❖ प्रचार/सामुदायिक संबंध उप समिति

क) राज्य पीआईपी/अनुपूरक पीआईपी के भाग के रूप में राज्य स्वास्थ्य मेले की आयोजना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन एवं एनएचएम प्रभाग के जरिए निधियों के हस्तांतरण के लिए मंत्रालय के पास भेजेगा।

ख) माननीय संसद सदस्य (स्थल के अतिव्यापन को टालने हेतु जैसा कि पूर्व पैरा में वर्णन किया गया है), जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ विचार-विमर्श से स्वास्थ्य मेले के स्थान और तिथि को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्वास्थ्य मेले के स्थान का चयन चिकित्सा कॉलेज/ सिविल अस्पताल के समीप किया जाएगा ताकि अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजिकल टेस्ट आदि की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। स्थल केन्द्र में स्थित होना चाहिए और वहां तक आम जनता की पहुंच सुगम होनी चाहिए।

ग) आवश्यक औषधियों और आपूर्तियों का प्रबंध पहले ही राज्य स्वास्थ्य विभाग के जरिए किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय एनजीओ भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों, गायनोकोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन्स, नेत्र सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सा सर्जन, शिशु रोग विशेषज्ञ आदि की पर्याप्त संख्या स्थानीय सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, निजी चिकित्सकों और आईएमए से ली जा सकती है।

घ) लेआउट योजना को निश्चित करने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है :

- ❖ स्थल को स्टॉल्स में विभाजित किया जाना चाहिए जिन पर प्रत्येक सेवा की स्थिति का स्पष्ट संकेत हो जैसे मातृत्व देखभाल, बाल परिचर्या, परिवार नियोजन, अंधता नियंत्रण, दंत चिकित्सा परिचर्या, ईएनटी आदि। स्थानीय भाषा में एक प्रिंटिड नक्शा होना चाहिए जिसमें मेला-स्थल पर स्टॉल के लेआउट को दर्शाया गया हो।
- ❖ चिकित्सकों और अन्य स्टाफ का ड्यूटी चार्ट स्पष्ट होना चाहिए।
- ❖ मेला शुरु होने से कम से कम 3 दिन पहले से लेआउट मैप सहित चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के ड्यूटी चार्ट के साथ एक पूछताछ कार्यालय भी कार्यशील होना चाहिए।
- ❖ कम से कम 25 पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को असुविधा न हो और वे अपने-आप को आसानी से पंजीकृत करा सकें।
- ❖ अगर स्टॉल खुले स्थान में हैं तो प्रत्येक स्टॉल का आकार 15x15 हो सकता है और ये मेला शुरु होने से कम से कम एक दिन पहले सभी फर्नीचर, फिक्सचर्स, पोस्टर्स, उपस्करों आदि के साथ तैयार होने चाहिए।
- ❖ स्टॉल इस प्रकार के होने की जरूरत है कि तूफानी वातावरण (वर्षा आदि) के दौरान असुविधा को टाला जा सके।

❖ निम्नलिखित स्टॉल स्थापित किए जा सकते हैं :

1. सामान्य औषधि
2. मातृ-स्वास्थ्य
3. बाल स्वास्थ्य
4. प्रतिरक्षण
5. परिवार नियोजन परामर्श
6. आईईसी
7. ईएनटी जांच
8. दंत जांच
9. हृदय जांच
10. त्वचा
11. पोषण हेतु परामर्श
12. आरटीआई/एसटीआई/एड्स नियंत्रण के लिएपरामर्श
13. कुष्ठ रोग नियंत्रण
14. टीबी नियंत्रण
15. मलेरिया
16. दृष्टिहीनता की रोकथाम (नेत्र जांच)
17. धूम्रपान के बुरे प्रभाव
18. कैंसर नियंत्रण
19. व्यक्तिगत/पर्यावरण संबंधी स्वच्छता
20. मधुमेह नियंत्रण
21. पुनर्वास
22. भारतीय चिकित्सा प्रणाली- आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी
23. पैथोलॉजिकल जांच (मूत्र, शुगर, ब्लड शुगर, एचबी, बीसीजी, बलगम जांच) और नैदानिक जांचों की व्यवस्था (एक्स-रे, अल्ट्रा साउंड, ईसीजी आदि)
24. संगीत और नाट्य प्रभाग के कार्यक्रम, क्षेत्र प्रसार निदेशालय
25. डीएवीपी प्रदर्शनी

ङ.) जीवनशैली की जानकारी और जांच से स्वास्थ्य जोखिमों की जागरुकता पैदा करने में मदद मिलती है और किसी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसके जीवनशैली में परिवर्तन लाने के संबंध में जानकारी मिलती है। किसी स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य जांच पर विचार करते समय, परिणामों की गोपनीयता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकांश जांचों में समय लगता है इसलिए भागीदारों को इन बूथों पर जाने के लिए अतिरिक्त समय देने की जरुरत है।

च) लॉजिस्टिक की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएं:

- ❖ संबंधित स्टॉल के पास लोगों के मार्ग-दर्शन के लिए स्वयं सेवक कीपर्याप्त संख्या
- ❖ इन स्टॉलों के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों और चिकित्सा छात्रों की पर्याप्त संख्या
- ❖ प्रत्येक स्टॉल पर तैनात फार्मासिस्टों द्वारा 5 दिनों के लिए अथवा पूर्ण अवधि के लिए दवाईयां वितरित की जाएगी। पर्याप्त भंडार और वितरण सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ❖ डॉक्टरों/फार्मासिस्टों/एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को स्टॉल तथा ड्यूटी के आवंटन के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। उनकी भूमिका/ड्यूटी के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जाए।
- ❖ आयोजक मेला स्थल पर स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेंगे। मेले में पेयजल, स्वच्छता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

❖ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्याप्त रूप से पानी, साबुन आदि उपलब्ध होंगे।

❖ गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ खाद्य पदार्थों कोउचित कीमतों पर बेचने के लिए दुकानें स्थापित की जाएं।

छ) रेफरल के सभी मामलों की प्रविष्टि ऐसे रजिस्टर में की जानी चाहिए जिसमें रोगी का नाम और जहां रोगी को रेफर किया गया है उस अस्पताल का नाम दिया गया हो। कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों कीनिदेशिका को स्वास्थ्य मेले में तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि रोगियों का इलाज कर रहे चिकित्सक आगे के फॉलो-अप उपचार के लिए रोगी को रेफर कर सकें।

ज) रोगियों को अस्पतालों/अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करने संबंधी स्थिति/परिणाम पर फॉलो-अप केलिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए।

झ) सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों यथा गीत और ड्रामा प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार निदेशालय (डीएफपी), दृश्य श्रव्य प्रचार-प्रसार निदेशालय (डीएवीपी), दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के साथ प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेगा।

❖ राज्य स्तर पर तथा साथ ही राष्ट्रीय स्तर की कवरेज के साथ लिंक प्रदान करते हुए टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट होने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी से संपर्क किया जाना चाहिए।

❖ इस कार्यक्रम के व्यापक प्रसार के लिए सोसल मीडिया (ट्वीटर, फेसबुक, यू-ट्यूब के प्रयोग पर भी विचार किया जाए।हेल्थ मेले से पहले और इसके दौरान व्यापक जनजागरुकता सृजन के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी का दोहन किया जाना चाहिए।

❖ 'सेव द गर्ल चाइल्ड (बालिका बचाओ)'औरतत्संबंधी राज्यों में गिरते लिंग अनुपात को रोकने पर विशेष बल दिया जाएगा।

❖ प्रत्येक मेले में प्रचार-प्रसार और परामर्श के लिए निम्नलिखित विषयों को लिया जाएगा:

- ❖ परिवार कल्याण (रोग प्रतिरक्षण और गर्भनिरोधक सेवाओं सहित)
- ❖ आरटीआई/एसटीआई के लिए परामर्श
- ❖ नेत्रहीनता की रोकथाम
- ❖ नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास
- ❖ कुष्ठ रोग नियंत्रण
- ❖ पोषण
- ❖ धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन आदि के दुष्प्रभाव
- ❖ कैंसर नियंत्रण
- ❖ व्यक्तिगत साफ सफाई, पर्यावरणीय साफ-सफाई
- ❖ मधुमेह नियंत्रण
- ❖ भारतीय औषधि प्रणाली आदि

- ❖ परिवार कल्याण और आरसीएच कार्यक्रमों के लिए आईएमए की स्थानीय शाखाओं, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्था और अन्य राष्ट्रीय एनजीओ को अपने स्टॉल लगाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

5. वित्तीय दिशानिर्देश

एनएचएम से प्रत्येक स्वास्थ्य मेला के लिए सहायता क्रमशः लोकसभा/राज्य सभा- माननीय संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र/नॉडल जिले के अनुसार प्रत्येक वर्ष 12 लाख (बारह लाख) रुपए होगी। इन स्वास्थ्य मेलों का आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाएगा। केन्द्र राज्य निधियन पैटर्न 60:40/90:10/100 प्रतिशत होगा। इस निधियन का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिले में एक मेले का आयोजन करने अथवा किसी निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित जिलों में एक से अधिक मेलों, जैसा कि माननीय संसद सदस्य द्वारा निर्णय किया गया हो, का आयोजन करने के लिए किया जा सकता है। एक सहभागी का दृष्टिकोण बनाने के लिए माननीय सांसद और जिला प्रशासन अतिरिक्त वित्तीय निधियन और केन्द्रीय सरकार की सहायतार्थ स्थानीय स्तर पर अन्य सहायता जुटा सकते हैं।

एनएचएम के अन्तर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के लिए कियाजाए। इसके मद्देनजर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य पीआईपी/एसपीआईपी में आईईसी घटकों के तहत इस कार्य का प्रस्ताव करेंगे। राज्य मिशन निदेशक तदनुसार जिलाधीश / आयुक्त /प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिसका चयन प्रशासन द्वारा इन स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने के लिए किया गया है, को निधि जारी की जाएगी।

आयुष मंत्रालय इन स्वास्थ्य मेलों के लिए निधि उपलब्ध कराके इन प्रयासों में सहायता प्रदान करने का भी निर्णय कर सकता है। इस संबंध में उपलब्ध कराए जाने वाली निधि और संबंधित राज्यों के साथ तैनाती की शर्तों के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा निर्णय किया जा सकता है।

6. रिपोर्टिंग

स्वास्थ्य मेले हेतु निधियों की उपयोगिता व व्यय के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को जानकारी देने की प्रक्रिया एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों के अनुरूप होनी चाहिए।

शीर्षों हेतु निधियों की उपयोगिता व जानकारी अनुलग्नक-I के अनुसार हो सकती है।

इसके अलावा, अनुलग्नक-2 व 3 के अनुसार रिकॉर्ड व लेखा परीक्षा उद्देश्य हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य मेले के परिणाम स्वरूप प्राप्त किए गए लाभ की एक संक्षिप्त रिपोर्ट रखी जाएगी। तद्नुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएचएम जिलों को इसको प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।

अनुलग्नक-I

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र...............
में
दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले हेतु वित्तीय परिव्यय

क्र.सं.	कार्यकलाप	राशि (रु. में)
1.	अभियान चरण क) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन ख) पोस्टर ग) पत्रिकाएं घ) होर्डिंग ङ) बैनर च) माईक आदि के माध्यम से गहन विज्ञापन	
2.	रोगी डेटा का पंजीकरण व कंप्यूटराइजेशन	
3.	नैदानिक सेवाएं क) पैथोलोजिक जाँच ख) एक्स-रे ग) अल्ट्रासाउंड घ) ईसीजी	
4.	स्थल पर अवसंरचना विकास (स्थल प्रभार, पानी, बिजली आदि सहित)	
5	मेले के दौरान परिवहन	
6	मेले के दौरान डॉक्टरों का मानदेय व यात्रा भत्ता	
7	मेले के दौरान परिचिकित्सा स्टॉफका मानदेय व यात्रा भत्ता	
8	मेले के दौरान स्वयंसेवियों का यात्रा भत्ता व मानदेय	
9	मेले के दौरान प्रदर्शनी, स्ट्रीट प्ले, क्विज प्रतियोगिता आदि	
10	प्रमाण-पत्रों, पत्रिकाओं, स्वास्थ्य कार्डों, बैजेस आदि की प्रिंटिंग।	
11.	रिपोर्टिंग व डाक्यूमेंटेशन	
12.	तैयारी से संबंधित बैठकें	
13.	फैक्स, ई-मेल, पोस्टेजे व स्टेशनरी दूरभाष	
14.	आकस्मिकता	
15.	औषधि व सर्जिकल किटें, आदि	
		कुल- 12.00 लाख रु.

अनुलग्नक - 2

भाग-1 दिनांक .... को आयोजित स्वास्थ्य मेला(चेक-अप) संबंधी रिपोर्ट

क्र.सं.	मद	लाभार्थीव्यक्तियों की संख्या	टिप्पणी
1.	रजिस्ट्रेशन		
2.	चेक-अप		
3.	ईलाज		
4.	एनएसवी/वैक्सीटॉमी		
5.	ट्यूबकटोमी		
6.	आरसीएच		
7.	जिनेइकोलॉजी		
8.	स्तनपान (नर्सिंग मदर)		
9.	पेडिएट्रिक्स		
10.	आरटीआई/एसटीडी चैक-अप		
11.	मलेरिया		
12.	क्षयरोग		
13.	कुष्ठ रोग		
14.	अंधापन नियंत्रण		
15.	असंचारित रोग (डायबिटिक इत्यादि)		
16.	एचआईवी/एड्स परामर्श		
17.	कैंसर		
18.	परिवार नियोजन परामर्श		
19.	पोलियो और डीपीटी वैक्सीनेशन		
20.	कार्डियोलॉजी		
21.	दमा		
22.	दंत		
23.	ईएनटी		
24.	मेडिसीन		
25.	सर्जरी		
26.	प्लास्टिक सर्जरी		
27.	स्किन/डर्माटोलॉजी		
28.	ब्लड टेस्ट		
29.	ईसीजी		
30.	एक्स–रे		
31.	अल्ट्रासाउंड		
32.	संकुचन वितरित		
33.	आयुर्वेद		
34.	यूनानी		

35.	सिद्धा		
36.	होम्योपैथिक		
37.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

स्वास्थ्य मेले आयोजित करने संबंधी दिशानिर्देश

भाग-2 : स्वास्थ्य मेला पर प्रतिक्रिया (चेक-अप)

i. सामान्य विवरणी

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र --

जिले का नाम --

माननीय सांसद का नाम --

मेले का स्थान

मेले की तिथि

ii. सहभागियों के ब्यौरे

1. डाक्टरों की संख्या -------------------------------------
   - क) सामान्य जांच---
   - ख) विशेषज्ञ ---
   - ग) योगदान (स्रोत)---
2. फार्मासिस्ट की संख्या ---------------------------------------
   - क) योगदान (स्रोत)

3. अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या (एनजीओ, एलएचवी आदि) ----------------------------

4. स्वयसेवकों की संख्या --

क) मुख्य स्रोत ---

ख) सहभागी एनजीओ के नाम तथा सहभागिता के प्रकार

ग) आईएमए की भागीदारी

----

iii) प्रभाव के विवरण :

1. स्वास्थ्य परिचर्या मुद्दों पर आईईसी प्रसार सामग्री का सामान्य प्रभाव --------------------------------

2. अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याएं, यदि हैं तो

----

3. सुझाव तथा टिप्पणियां

आयोजनकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम ---

पदनाम --

तिथि --

अनुलग्नक -3

स्वास्थ्य मेला हेतु निधियों का उपयोग

जिला (ओं) का नामः

तारीखः

स्वास्थ्य मेला हेतुप्राप्तनिधियां :	**राशि (रुपये में)**
भारतसरकार	
एमपी एलएडीएस	
दान / कोई अन्य स्रोत	
कुल	
व्यय शीर्ष:	
अभियान चरण	
विज्ञापन/इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया	
पोस्टर	
पुस्तिकाएं	
होर्डिंग	
बैनर	
माइक के माध्यम से गहन विज्ञापन	
रोगी डेटा का पंजीकरण और कम्प्यूटरीकरण	
नैदानिक सेवाएं	
चिकित्सा उपकरण लेना	
औषधियों की अधिप्राप्ति आदि	
स्थल का अवसंरचनात्मक विकास	
स्थान शुल्क	
पानी, बिजली	
कोई अन्य:	
चिकित्सकोंके लिए टीए और मानदेय	
पैरामेडिकल स्टाफ के लिए टीए और मानदेय	
स्वयंसेवकों के लिए टीए और मानदेय	
मेले के दौरान परिवहन	
मेले के दौरान प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटकस, पहेली प्रतियोगिता आदि।	
रिपोर्टऔर दस्तावेज़ीकरण	
प्रारंभिक बैठकें	

टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, पोस्टेज और स्टेशनरी	
आकस्मिकता	
कोई अन्य	
कुल व्यय (रुपये में)	

(* यह एक समेकित सूची है। मेलेकेआयोजनके लिए किए गए किसी अन्य व्यय की गणना की जा सकती है)

(मुहर सहित आयोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

नामः ....

पदनामः ....

दिनांक ---------------------------

अनुलग्नक-4

उप-समितियों की भूमिका तथा जिम्मेदारियां

नैदानिक उप-समिति :

नैदानिक उप समिति में स्वास्थ्य पेशेवर यह निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं कि लक्षित दर्शकों हेतु स्वास्थ्य मेले में क्या शामिल किया जाए। विवरणिका, कुछ विवरण अथवा अन्य विषय सभी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप ऐसी छोटी वस्तुएं जिनका बच्चों द्वारा निगलने का जोखिम हो। ऐसी चीजों का परिवार उन्मुख स्वास्थ्य मेले में विवरण नहीं करना चाहिए। यदि जांच सुविधा प्रदान की जाए तो नैदानिक उप समिति को दर्शकों हेतु उपयुक्तता निश्चित करने,उचित प्रदाता तलाशने, सार्वभौमिक उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, परिणामों की शुद्धता की जांच करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा सहभागियों को परिणाम के विषय में उचित सूचना तथा बाद में सुझाव प्रदान करने चाहिए।स्थितिनुसार कार्य करने के लिए भी प्रावधान बनाए जाने चाहिए जैसे यदि स्वास्थ्य मेला में किसी की रक्तचाप अथवा रक्तशर्करा गंभीर रूप से अधिक पाई जाये तो वह व्यक्ति तुरंत सहायता कहां से प्राप्त करे।

नैदानिक उप समिति के अन्य कार्य

- ❖ लक्षित दर्शकों हेतु प्रमुख स्वास्थ्य विषयों तथा बूथ की पहचान करना।
- ❖ नैदानिक स्टाफ, नैदानिक सेवा, मैमोग्राम वैन अथवा मैमोग्राम हेतु उस स्थान तथा परिवहन की सुविधा जैसे नैदानिक केन्द्र अथवा स्थानीय अस्पताल हेतु योजना बनाना और प्रबंधन करना।
- ❖ रक्त लेने अथवा रक्त के प्रबंधन आदि हेतु सार्वभौमिक सावधानी उपायों के अनुपालन हेतु योजना बनाना।
- ❖ सहभागियों के परिणामों को उन तक पहुंचाने हेतु योजना बनाना।
- ❖ सहभागियों को असामान्य परिणाम, दोनों शीघ्र तथा दीर्घावधि (उदाहरण स्वरूप यदि किसी को बहुत अधिक रक्त ग्लूकोज वाला रक्तचाप हो, वे तुरंत इलाज हेतु कहा जाएं?) हेतु रेफरल उपचार हेतु योजना तथा प्रबंधन करना।
- ❖ लक्षित दर्शकों हेतु उचित सामग्री का विवरण, विवरणिका, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सूचना का वर्णन और समीक्षा (उदाहरण स्वरूप : छोटे बच्चों हेतु कोई वस्तु अथवा नि:शुल्क औषधि नमूने आदि) करना।
- ❖ लक्षित दर्शकों हेतु उचित टीकाकरण हेतु योजना बनाना।
- ❖ स्वास्थ्य मेला के दौरान प्राथमिक सहायता की अनिवार्यताओं हेतु योजना बनाना।
- ❖ सहभागियों के परिणाम संबंधी गोपनीयता बनाए रखना।

सुविधा उप-समिति :

सुविधा उप समिति को सुविधाओं के चयन संबंधी निम्न बातों पर विचार करना चाहिए:

- ❖ अंतिम बनाम बाह्य: यदि स्वास्थ्य मेला खुले स्थान में आयोजित किया जा रहा है, खराब मौसम, तेज हवा आदि के लिए एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए। बूथ वर्कस के लिए सनस्क्रीन का प्रबंध किया जाए?
- ❖ उपकरणों तथा इलेक्ट्रीकल्स अनिवार्यताओं हेतु योजना?
- ❖ क्या मेज तथा कुर्सी उपलब्ध हैं?

- क्या पर्याप्त विश्राम कक्ष उपलब्ध हैं?
- क्या पेयजल औरनाशते की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
- खाद्य सुरक्षा: खाना बनाना तथा रेफ्रिजरेशन?
- पार्किंग : क्या पार्किंग स्थल पर्याप्त है?
- किस प्रकार की स्वस्च्छता अपेक्षित है?
- सुरक्षा: क्या वहां सीढ़ियां हैं?
- क्या इस स्थान पर सार्वजनिक परिवहन द्वारा सुविधापूर्वक पहुंचा जा सकता है?
- क्या स्थान को आसानी से ढूंढ़ा जा सकता है?

खाद्य उपसमिति :

खाद्य उप-समिति नाश्तें की व्यवस्था हेतु जिम्मेदार है:-

- जब नाश्ते के प्रकार का निर्धारण किया जा रहा हो तो कृपया विचार किया जाए कि-
  - नाश्ते की सामग्री की उपयुक्तता
  - नाश्ते की सामग्री का स्रोत तथा खाद्य सुरक्षा

लिपिकीय/फाइलिंग/कार्यसूची उप-समिति

- अनिवार्य लिपिकीय सहयोग प्रदान कराने हेतु जिनमें योजना विवरण तथा निमंत्रण तथा निम्न फार्म तैयार करना भी शामिल है:
  - शाइन- इन अथवा पंजीकरण फार्म
  - सहभागियों तथा प्रदशर्नी कर्ताओं हेतु मूल्यांकन फार्म।
- स्वास्थ्य मेला के पूरे दिन स्थापना तथा स्वच्छता हेतु योजना, स्वास्थ्य मेला हेतु पर्याप्त स्टाफ योजना।
- विराम तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था पर विचार करना। प्रदर्शनीकर्ताओं हेतु एक विश्राम कमरे की व्यवस्था उचित होगा।
- मेले वाले दिन एक कार्यसूची तैयार करना ताकि स्वयंसेवक उनको दिए सौंपे गए कार्य की अच्छी तरह से कर सके।
- स्वास्थ्य मेले के प्रबंधन में सहायता करना।

प्रचार/सामुदायिक संपर्क उप समिति

- प्रसार हेतु पोस्टर, प्लेयर्स बनाना तथा मेल करना।
- मीडिया, रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों, स्टोर बुलेटिन बोर्डस, चर्च बुलेटिन आदि के माध्यम से प्रसार करना।